उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.

(U.P. GOVT UNDERTAKING)
ISO 9001 : 2008 (QMS) and ISO 14001 : 2004 (EMS) CERTIFIED

EPBX 272067 / 272066 / 272067

Website : http://www.uprnn.co.in
पंजीकृत कार्यालय :
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226 010

Fax-0522-272084
Registered Office
Vishweshwaraiya Bhawan, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010

(12)

संख्या 683 /AC/99/TC/15 001

दिनांक 04.03.15

कार्यालय ज्ञाप

निगम की विभिन्न इकाईयों पर पी0आर0डब्लू/उप ठेकेदार/ठेकेदार अथवा फर्म से फारखती (No Claim Certificate) प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–3551/एसी0/99/0001/94. दिनांक–08.12.2014 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किये गये किन्तु संज्ञान में आया है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन अधिकांश इकाईयों पर नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ ठेकेदार अथवा फर्म को निगम द्वारा किए जा रहे भुगतान के साथ ही साथ संलग्न प्रारूप पर सम्बन्धित पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ठेकेदार अथवा फर्म से फारखती (No Claim Certificate) अवश्य प्राप्त कर लिया जाए तथा ऐसे फारखती (No Claim Certificate) पर सम्बन्धित इकाई के इकाई प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाये एवं इकाई के रिकार्ड में रखा जाये। फारखती (No Claim Certificate) के बिना किए गए भुगतान के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई माँग पी0आर0डब्लू0/उपठेकेदार/ठेकेदार अथवा फर्म द्वारा किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित लेखा प्रभारी तथा इकाई प्रभारी का होगा।

यह भी उल्लेख करना है कि निगम के निदेशक मण्डल की दिनाँक 26/09/2014 को सम्पन्न हुई 170वीं बैठक के कार्यवृत्त की विषयवस्तु संख्या–16 द्वारा निर्देशित किया गया है कि पी0आर0डब्लू0 को द्वितीय वर्क आर्डर तब ही जारी किया जाए जब पूर्व मे जारी वर्क आर्डर का कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित किया गया हो। अतः इसका अनुपालन भी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा इस सम्बन्ध मे किसी भी रूप में शिथिलता न बरती जाए। यदि उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पायी जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा।

संलग्नकः– यथोपरि

4/3/15

(आर0के0 गोयल)
प्रबन्ध निदेशक

dc

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त अंचलीय अति0 म0प्र0/महाप्रबन्धक उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0 ....
(2) वित्तीय परामर्शदाता (कैम्प कार्यालय) उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
(3) महाप्रबन्धक (वाणिज्य) उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
(4) महाप्रबन्धक (यान्त्रिक) उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
(5) लेखानियन्त्रक उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, मुख्यालय लखनऊ।

4/3/15

प्रबन्ध निदेशक

dc

फारखती

वर्क आर्डर सं0— .... दिनॉकः— ....

इकाई का नामः— ....

ठेकेदार का नामः— ....

ठेकेदार का पैन नम्बरः— ....टिन नम्बरः—.............................
(स्वमं सत्यापित छायाप्रति सहित)

भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम—1996 के अन्तर्गत श्रम विभाग में पी0आर0डब्लू0 / उपठेकेदार / ठेकेदार अथवा फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र की संख्याः—...
(स्वमं सत्यापित छायाप्रति सहित)

पिता का नामः— ....

पताः— ....

मैं फारखती लिखता हूँ कि आज की तारीख तक जितना काम मैनें उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 इकाई — .... पर किया है, उक्त वर्क आर्डर से उसका पैसा इकाई से वसूल पाया तथा मेरे अधीन कार्यरत समस्त श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान भी किये जा चुके है और अब कुछ बाकी नहीं रहा। इसके अलावा अगर किसी काम के वास्ते इकाई से कोई दावा करूँ तो वह गलत समझा जाये। लिहाजा यह तहरीर बतौर फारखती लिख दी ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आये।

तारीखः— .... हस्ताक्षर ठेकेदारः— ....

तारीखः— .... हस्ताक्षर गवाहः—(1) ....

(2) ....

प्रतिहस्ताक्षरित

इकाई प्रभारी